संख्या:11/2017/ 585/ सत्रह - म- 2017, ।।-।(12)/2007

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊ दिंनाक 02 मई, 2017**

विषय राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2017 -18 हेतु लेखानुदान अवधि (अप्रैल् 2017 से अगस्त 2017 तक अर्थात कुल का 5/12 भाग) के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -184 /नि0शा0/2017- 18 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वर्ष 2017 -18 में राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत लेखानुदान में रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना के अन्तर्गत जलप्लावित भूमि को मत्स्य पालन हेतु तालाब के रूप में विकसित करने के लिए 01 हे0 जल प्लावित भूमि की इकाई लागत रू0 1.25 लाख है। उक्त निर्धारित इकाई लागत में सामान्य श्रेणी को 80 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2- अत: उक्त योजना हेतु वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2017/बी- 1-348/ दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल् 2017 से अगस्त 2017 तक अर्थात कुल का 5/12 भाग) हेतु रू0 83.33 लाख (रू0 तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 45 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है-

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी बैंक / पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी । उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण् विद्यमान व्यवस्थानुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

3- उपरोक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- उपरोक्त धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के जल प्लावित क्षेत्रों का सुधार कर मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से विकसित किया जायेगा । यह परियोजना छोटे जलप्लावित जल क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी ।सुधारोपरान्त यह तालाब शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप चयनित लाभार्थियों को आवंटित कर मत्स्य पालन का कार्य कराया जायेगा । सुधार कार्य नाबार्ड योजना द्वारा निर्धारित मानकों अथवा कार्यदायी संस्था के आगणन के अनुसार कराया जायेगा। जहॉ पर आवश्यकता हो वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय। किसी भी प्रकार अनियमितता अवांछनीय होगी।

3- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0406- जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी- 1-348/ दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत् किये जा रहे है।

संलग्न -यथोक्त।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या 11/2017/585 (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5 - वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 11/2017/ 585/सत्रह-म-201- ।।-1 (12)/2007 दिनांक 02 मई,2017 का संलग्नक

वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक अर्थात कुल का 5/12 भाग) हेतु जलप्लावित क्षेत्रों मे मत्स्य पालन विविधीकरण योजना हेतु 45 जनपदों की वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	आच्छादित किये जाने वाले जलक्षेत्र (हे0में)	लेखानुदान अवधि हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3	4
1	फिरोजाबाद	2.00	0.83
2	मैनपुरी	1.00	0.42
3	आजमगढ	10.00	4.17
4	मऊ	5.00	2.08
5	बलिया	9.00	3.75
6	इलाहाबाद	2.00	0.83
7	कौशाम्बी	1.00	0.42
8	फतेहपुर	2.00	0.83
9	प्रतापगढ	6.00	2.50
10	गोरखपुर	6.00	2.50
11	महराजगंज	7.00	2.92
12	कुशीनगर	7.00	2.92
13	बस्ती	2.00	0.83
14	संतकबीरनगर	5.00	2.08
15	सिद्धार्थ नगर	5.00	2.08
16	झांसी	1.00	0.42
17	जालौन	1.00	0.42
18	ललितपुर	1.00	0.42
19	गोण्डा	3.00	1.25
20	बलरामपुर	7.00	2.92
21	बहराईच	9.00	3.75
22	श्रावस्ती	7.00	2.92
23	फैजाबाद	4.00	1.67
24	अम्बडेकर नगर	5.00	2.08

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	सुल्तानपुर	1.00	0.42
26	अमेठी	1.00	0.42
27	बरेली	5.00	2.08
28	बदायूं	5.00	2.08
29	शाहजहॉपुर	10.00	4.17
30	पीलीभीत	5.00	2.08
31	सम्भल	3.00	1.25
32	रामपुर	4.00	1.67
33	बिजनौर	6.00	2.50
34	बुलन्दशहर	2.00	0.83
35	उन्नाव	5.00	2.08
36	रायबरेली	15.00	6.25
37	सीतापुर	5.00	2.08
38	कानपुर नगर	2.00	0.83
39	हरदोई	4.00	1.67
40	लखीमपुर खीरी	7.00	2.92
41	सहारनपुर	3.00	1.25
42	मुजफ्फरनगर	3.00	1.25
43	शामली	2.00	0.83
44	मिर्जापुर	2.00	0.83
45	संतरविदास नगर	2.00	0.83
	योग -	200.00	83.33

(कुल रू0 तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।